उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या- 08/2017/2474जे/22-5-16-400(8)/2016

लखनऊ : दिनांक- 09 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप (संशोधन)

केन्द्रीय कारागार, बरेली के विचाराधीन बंदी गुल्लू उर्फ गुलनवाज पुत्र मुस्ताक को जेल प्रशासन द्वारा मारे-पीटे जाने एवं प्रताडित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा बन्दी के आश्रितों को रूपया 01.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) की अन्तरिम राहत के भुगतान के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-16/2016/2141जे/22-5-16-400(8)2016, दिनांक 29 नवम्बर 2016 के विषय में अंकित ''के आश्रित'' तथा शासनादेश के सातवी पंक्ति में अंकित '' के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारी'' को विलोपित करते हुए संशोधित किया जाता है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या- 08/2017/2474जे(1)/22-5-6-तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली को इस आशय के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान बंदी को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टीकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- कोषाधिकारी, बरेली।

4- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूली की सूचना प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4।

6- अनु सचिव, गृह (मानवाधिकार) अनुभाग-1 को उनके पत्र संख्या-65आईआरएन/छ–मा0-1-16-2(18)/22016, दिनांक 12-09-2016।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in